न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA004 Ghasiram etc Vs State

1. घासीराम पुत्र सुखाराम जाट
2. हरचन्द पुत्र सुखाराम जाट
3. चन्दाराम पुत्र सुखाराम जाट
4. भूराराम पुत्र धुलाराम जाट
5. चैनाराम पुत्र जस्साराम जाट
6. धर्माराम पुत्र घेवरराम जाट
7. पप्पुराम पुत्र घेवरराम जाट
8. राजुदेवी पुत्री घेवरराम जाट
9. रमादेवी पत्नी घेवरराम जाट द्वितीय पत्नी
10. सोनी देवी पत्नी घेवरराम जाट प्रथम पत्नी

निवासीगण ग्राम लवारी, तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

भूमिधारी तहसीलदार पीपाडशहर जोधपुर

-----रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर दिनांक 20 मार्च 2018 राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 131/2016 तहसीलदार पीपाडशहर बनाम घासीराम व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता - रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 10 जनवरी2020

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 131/2016 तहसीलदार पीपाड बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

घासीराम पीपाडशहर में पारित निर्णय दिनांक 20 मार्च 2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 09 जनवरी 2019 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार पीपाडसिटी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर अप्रार्थीगण-**अपीलाण्ट्स द्वारा मौजा लवारी स्थित खातेदारी खेत खसरा संख्या 3 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा बारानी दोयम घीसाराम, हरचंद व चन्दाराम पिसरान सुखाराम ¼, भूराराम पुत्र धुलाराम ¼, चैनाराम पुत्र जस्साराम ¼ एवं घेवरराम पुत्र रीधाराम ¼ हिस्सा होना जाहिर किया और बताया कि उक्त अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में अवैध खनन कार्य किया जा** रहा है, अतः इनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाकर इनके खातेदारी अधिकार समाप्त किये जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 व 6/5 ने जबाब पेश कर जाहिर किया कि उनकी खातेदारी की भूमि के चिपते ही खसरा संख्या 2 गैरमुमकिन नदी है जिसमें से ठेकेदार खनन करते है तथा उन लोगो द्वारा ही अप्रार्थीगण की भूमि में से भी खनन करना आरम्भ कर दिया गया है, जिसकी अप्रार्थीगण को जानकारी होते ही ठेकेदारान को खनन करने से मना कर दिया, फिर भी नदी के सहारे-सहारे चोरी-छिपे ठेकेदारान द्वारा ही अवैध खनन किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अतः जबाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मिथ्या, सारहीन एवं आधारहीन होने से तदनुसार खारिज किया जावे।

तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई कर उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 मार्च 2018 को अपीलाण्ट्स की खातेदारी उक्त खसरा संख्या 03 की भूमि बाबत समाप्त कर दी जिसके खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स की खातेदारी की भूमि के चिपते ही खसरा संख्या 2 गैरमुमकिन नदी है जिसमें से ठेकेदार खनन करते है तथा उन लोगो द्वार ही अप्रार्थीगण की भूमि में से भी खनन करना आरम्भ कर दिया गया है, जिसकी अप्रार्थीगण को जानकारी होते ही ठेकेदारान को खनन करने से मना कर दिया, फिर भी नदी के सहारे-सहारे चोरी-छिपे ठेकेदारान द्वारा ही अवैध खनन किया गया है। अधिवक्ता- अपीलाण्ट्स का यह भी कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 की उपधारा 4 के अनुसार जब धारा 177 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का अप्रार्थी-पक्ष की ओर से खण्डन किया जाये तो कार्यवाही का स्वरुप बदल जाता है और फिर उस प्रार्थनापत्र को वाद के रूप में दर्ज करते हुए वाद विचारण की प्रकियाओं के अनुरुप ही कार्यवाही पूर्ण होकर निस्तारण किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177(4) की पालना नहीं की गयी है। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी तर्क पेश किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो.-प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य अपने अभिवचनों के समर्थन में प्रस्तुत नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की गयी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य के ही प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया और कितने रकबा पर तथाकथित खनन किया गया, इसकी परिगणना किये बिना ही सम्पूर्ण खसरा की भूमि बाबत खातेदारी समाप्त करने के आदेश पारित कर दिये। मियाद प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का जबाब पेश कर दिया था, उस समय अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता ने अपीलाण्ट्स को बताया था कि फिलहाल अब इस मामले में अपीलाण्ट्स-अप्रार्थी को प्रत्येक पेशी पर अदालत में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानून एवं नियमों के मुताबिक अब प्रकरण में विवाधक बिन्दुओं की रचना होगी और उसके बाद प्रार्थनापत्र में प्रार्थी की ओर से गवाही होगी, और उसके बाद अप्रार्थीगण की साक्ष्य होगी, तब अपीलाण्ट्स की जरूरत पडेगी, यानि करीब 2019 में ही आकर अधिवक्ता से सम्पर्क करना होगा। अपीलाण्ट्स इसी विश्वास में रहे। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की, और जल्द ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जब 04 जनवरी 2019 को अपीलाण्ट्स द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया, तो अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी हुई और आवश्यक कार्यवाही कर आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद पेश की गयी है। साथ ही भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर दिया गया है, जो स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जावे और गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है, अपीलाण्ट्स द्वारा बिना अनुज्ञापत्र खातेदारी भूमि में से बजरी का खनन किया है, मौका रिपोर्ट दिनांक 15 अप्रेल 2016 से इस तथ्य की पुष्टि होती है। अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से अपील खारिज योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स द्वारा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का जबाब पेश कर खण्डन किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 की उपधारा 4 के अनुसार जब धारा 177 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का अप्रार्थी-पक्ष की ओर से जबाब में विरोध किया जाये तो कार्यवाही का स्वरूप बदल जाता है और फिर उस प्रार्थनापत्र को वाद के रूप में दर्ज करते हुए वाद विचारण की प्रकियाओं के अनुरूप ही सुनवाई होकर निस्तारण किया जा सकता है। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिससे अपीलाधीन निर्णय निर्धारित विधिक प्रकिया एवं नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं होने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में धारित किया गया है कि जहॉ गुणावगुण पर मामला सारवान पाया जावे, वहॉ मियाद जैसे तकनीकी आधार पर प्रकरण खारिज करके पक्षकार के लिए न्यायप्राप्ति का रास्ता अवरूद्ध नहीं किया जाना चाहिये। आलौच्य मामले में अपील गुणावगुण पर सारवान पायी जाती है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में वर्णित बिन्दुओं एवं इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा की गयी बहस आदि पर विश्वास करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है और गुणावगुण पर अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 मार्च 2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उपरोक्त ऑब्जर्वेशसन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को नियमित वाद के रूप में दर्ज कर तदनुसार प्रंकियागत कार्यवाही कर गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 10/1/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर